If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (1) Additional Medical Superintendent -Chairman (2) Head of Department (Laundry) -Member (3) Deputy Director Administration -Member (4)Deputy Director (Medical Hospital), Directorate General of Health Services -Member. **Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-** (1) Additional Medical Superintendent -Chairman (2) Head of Department (Laundry) -Member (3) Deputy Director Administration -Member (4) Deputy Director (Medical Hospital), Directorate General of Health Services -Member.	Not applicable.

[F. No. A-11018/45/2019-MH II]

GANESH KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 3 अगस्त 2022

सा.का.नि. 109.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, (दृष्टिविज्ञानी, समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 2014 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में दृष्टिमितिज्ञ के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं,अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, दृष्टिमितिज्ञ (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर—**उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ(4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि—**भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ(13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता—** वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति:—** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति:—** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	**पद की संख्या**	**वर्गीकरण**
(1)	(2)	(3)
दृष्टिमितिज्ञ	*01(एक) 2022 *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।

वेतन मैट्रिक्स में स्तर	**चयन याअचयन पद**	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा**
(4)	(5)	(6)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6(35400-112400/- रुपये)	लागू नहीं होता।	तीस वर्ष से अधिक नहीं। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। **टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**	**भर्ती की पद्धति,भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता**
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक:- (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से विज्ञान में बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण। (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से	लागू नहीं होता।	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा। **टिप्पण:** पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी अथवा किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक

दृष्टिमिति में चार वर्ष की डिग्री। (iii) किसी सरकारी मान्यताप्राप्त अस्पताल में दृष्टिमितिज्ञ के रूप में एक वर्ष का कार्यानुभव। **टिप्पण:** अनुभव संबंधी अर्हताएँ, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किये जाएं, सक्षम प्राधिकारी या कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी या कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।			अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी: (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii)जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 के पदों पर छह वर्ष नियमित सेवा की हो; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव हैं।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा**
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	**समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:** 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल - अध्यक्ष 2. संबंधित विभागाध्यक्ष, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल - सदस्य 3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल का प्रशासनिक कार्य का देख-भाल करने वाले उपनिदेशक - सदस्य 4. उप निदेशक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल - सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए-11018/11/2020-एमएच-II]

गणेश कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 3rd August, 2022

G.S.R. 109.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Lady Hardinge Medical College and Smt. Suchata Kriplani Hospital , New Delhi, (Optometrist-Group-C Post), Recruitment Rules 2014, except as things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment for the post of Optometrist, in the Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, Ministry of Health and Family Welfare, namely:—

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, Optometrist (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.— The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. – No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Optometrist	*01(One) 2022 *subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level- 6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400/-).	Not applicable.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(6)	(7)
Not exceeding thirty years. (Relaxble for government servant's up to five years in accordance with instructions or orders issued by the Central government). **Note :** The crucial date for determining the age-limit shall be advertised by the Staff Selection Commission.	**Essential: -** (i) Class XII pass in Science from a recognised Board. (ii) Four Years Degree in Optometry from a recognised University. (iii) One year working experience as Optometrist in a government recognised hospital. **Note:** Qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority or the Staff Selection Commission for the reasons to be recorded in

	writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if, at any stage of selection the competent authority or Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years	By Direct Recruitment **Note:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government: (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with six years regular service in posts in level-5 of the pay matrix; and (b) Possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column 7.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grade from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable	**Group 'B' Departmental Confirmation committee** **(for considering confirmation) consisting of :** 1. Addlitional Medical Superintendent, Lady Hardinge Medical College & Shrimati Sucheta Kriplani Hospital -Chairman 2. Head of the concerned Department, Lady Hardinge Medical College & Shrimati Sucheta Kriplani Hospital. -Member 3. Deputy Director in Directorate General of Health Services looking after the administration work of Lady Hardinge Medical College & Shrimati Sucheta Kriplani Hospital -Member 4. Deputy Director, Lady Hardinge Medical College & Shrimati Sucheta Kriplani Hospital -Member.	Consultation with Union Public Services Commission is not necessary.

[F. No. A-11018/11/2020-MH-II]

GANESH KUMAR, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.